न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2014

1. जरनैलसिंह पुत्र श्री दयालसिंह जाति मजहबी निवासी गांव 14 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. दर्शनसिंह पुत्र श्री दयालसिंह जाति मजहबी निवासी गांव 14 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवास 9 एम.डी. सतराना तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)
   - 2.1 श्रीमति गुरमेज कौर पत्नी स्व. श्री दर्शनसिंह निवासी 9 एम.डी. सतराना तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 2.2 सतविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री दर्शनसिंह निवासी 9 एम.डी. सतराना तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 2.3 सुखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री दर्शनसिंह निवासी 9 एम.डी. सतराना तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 2.4 राजविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री दर्शनसिंह निवासी 9 एम.डी. सतराना तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 2.5 सर्वजीत कौर पुत्री स्व. श्री दर्शनसिंह निवासी 9 एम.डी. सतराना तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 2.6 हरमीत कौर पुत्री स्व. श्री दर्शनसिंह निवासी 9 एम.डी. सतराना तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 2.7 विशाखा सिंह पुत्र स्व. श्री दर्शनसिंह निवासी 9 एम.डी. सतराना तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. करतारसिंह पुत्र श्री दयालसिंह जाति मजहबी निवासी गांव 14 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गोपालसिंह पुत्र श्री दयालसिंह जाति मजहबी निवासी गांव 14 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जरनैलसिंह टूरना अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री हंसराज जरनैलसिंह टूरना अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13-10-16

प्रार्थी नें जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

प्रार्थीगण तथा मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को पुर्नवास विभाग द्वारा भूमि गैर खातेदार आवंटन हुई थी और जो चक 14 एफ. बड़ा सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 25 में कुल 6.200 हैक्टर नहरी जिसमें

से खाला 0.125 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका कब्जा मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पास चला आ रहा है। मौके पर मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 में प्रार्थी जरनैलसिंह के पास मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 5 व 24 और प्रार्थी गोपालसिंह द्वारा मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 10 में ढ़ाणी बना रखी है और अप्रार्थी करतारसिंह द्वारा मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 21 में ढ़ाणी बनाकर निवास कर रखा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनें अपनें किलाजात पर काबिज चले आ रहे है। इसी अनुसार पानी की बारी लगाा रहे है। और इसी के अनुसार अपना नहरी व माली मामला अदा कर रहे है। अप्रार्थीगण के पिता दयालसिंह व माता भगवानकौर परिवार के कर्त्ता होनें के कारण उक्त भूमि की सनद दिनांक 19.02.1987 को जारी की गई थी। और राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ था। और दयालसिंह की मृत्यु दिनांक 15.02.1994 को हो चुकी थी। और अप्रार्थीगण द्वारा षडयंत्र व दुर्भिसंधि करके वादीगण को नुकसान पहुचानें की नियत से जो सनद दिनांक 19.02.1987 के आधार पर 23.11.2012 को अप्रार्थीगण द्वारा षड़यन्त्र रचकर मृतक व्यक्तियों के खिलाफ इन्तकाल करवा लिया गया है क्योंकि श्रीमती भगवान कौर की भी मृत्यु काफी अर्सा पहले हो चुकी थी, इसलिये मृत व्यक्यिों के नाम से इन्तकाल दिनांक 23.11.2012 अकृत व शून्य है।

इसलिये प्रार्थीगण इस अमर की घोषणा करवानें के अधिकार है, कि इन्तकाल संख्या 345 दिनांक 23.11.2012 को किया गया है, जो कि प्रार्थीगण के अधिकारों के विपरीत होनें के कारण उसे प्रार्थीगण अकृत व शून्य घोषित करवानें के अधिकारी है, क्योंकि प्रार्थीगण के माता व पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा, उन्होनें अपनें जीवनकाल में ही उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बांटकर दे रखी थी और इसी के आधार पर ही मौका पर काबिज चले आ रहे है।

प्रार्थीगण के पास मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 5 व किला नम्बर 16 ता 20 व 24, 25 काबिज चला आ रहा है, और इस पर मौके पर फसल बिजान्द भी है। प्रार्थीगण इस अमर की घोषणा व स्थगन आदेश प्राप्त करनें का अधिकारी है, कि चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड में मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 5, 16 ता 20, 24 व 25 जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जा में चली आ रही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी पानी की बारी में व कब्जे में प्रार्थीगण की बनी हुई ढाणी में किसी तरह से दखल अन्दाजी करनें से बाज व ममनू रहे। इसलिये प्रार्थीगण ताफैसला इस अमर का स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें के अधिकारी है, कि जब तक वाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक प्रार्थीगण की कब्जा शुद्धा कृषि भूमि में अप्रार्थीगण किसी भी तरह से दखल अन्दाजी करनें से बाज ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर चक 14 एफ बड़ा सैकिण्ड में मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 5, 16 ता 20, 24 व 25 जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जा कास्त में है में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करनें से बाज ममनू रहे तथा आगामी पेशी तक रिकार्ड में मौका की यथा स्थिति बनाई रखे जानें की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थी को जरिऐ जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरीये अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अर्न्तगत कथन किया कि भूमि वादीगण को नहीं बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा उनके माता पिता दयालसिंह व भगवान का अलोट हुई थी।

यह कहना गलत है, कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनें हिस्सा की भूमि को वादीगण के हक में परित्याग कर रखा हो बल्कि हम प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा मौके पर घरू विभाजन होकर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 18 ता 25 सालम तथा किला नम्बर 17 का एक बिस्वा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा

काश्त में मुरब्बा नम्बर 5 का किला नम्बर 9 का दो बिस्वा किला नम्बर 10 से 16 सालम तथा 17 का 19 बिस्वा इस प्रकार दोनों के कब्जा काश्त में 8.01 प्रत्ये के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। आज भी मौके पर फसल काश्त कर रखी है। वादी नें स्वयं नें इस मद में यह स्वीकार किया है, कि कब्जा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पास चला आ रहा है इस प्रकार वादी के स्वयं की स्वीकृति के बाद शेष कथन स्वतः ही मिथ्या हो जाते है। प्रतिवादीगण द्वारा किला नम्बर 21 में ढाणी बना रखी है जिसका वादी नें इस मद में स्वयं स्वीकार किया है इंतकाल सही करवाया है तथा आज तक किसी सक्ष्म न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है। वादी नें यह भी स्वीकार किया है, कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण को बांट रखी है तथा कब्जा प्रतिवादी का चला आ रहा है।

हम प्रतिवादीगण खाता विभाजन करवाकर अपनें कब्जा काश्त का रकबा अपनें नाम से किलावाईज दर्ज करवानें के अधिकारी है वादीगण हम प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत करनें की कोशिश में है। तथा इसी गलत दावा व प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी. एक्ट पेश किया है।

प्रार्थी प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध उनके हिस्सा की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। कब्जा मौके पर वाद पत्र की चरण संख्या 2 के अनुसार चला आ रहा है, तथा इसी अनुसार बंटवारा करवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे क्योंकि हम अप्रार्थीयान रिकार्डेड खातेदार है, तथा उनके कब्जा काश्त उतनी ही भूमि है जितनी उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। संख्या 3 ता 5 नें अपना हक छोड़ रखा है

उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दिनांक 21.09.2016 को बहस सुनी गई प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि दिनांक 02.09.1987 को सनद जारी हुई थी इसके आधार पर ही नामान्तरकरण दर्ज हो गया था, सनद के बारे में कोई जांच नहीं हुई थी। फिर भी यदि कोई दस्तावेज है, तो 12 साल से अधिक पुराना होनें के कारण उसकी कोई जांच नहीं हो सकती। जिनके नाम से रकबा गैर खातेदारी दर्ज था उनको बुलाया तक नहीं गया। भूमि पूर्नवास विभाग की थी जिसे प्रार्थीगण के माता पिता द्वारा अपनें जीवनकाल में ही अपनें लड़के, लड़कियों को बांट कर दे दी गई थी। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण सम्बंधी विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है, विवादित भूमि मूल दावें में ही तय होनी है इसलिये जब तक मूल दावे का निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता नें दौरानें बहस कथन किया कि सनद के आधार पर दर्ज नामान्तरकण की अपील की गई थी खारिज कर दी गई थी सनद आज भी स्टैण्ड कर रही है तथा उसी अनुरूप अप्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज है प्रार्थीगण का जितना हिस्सा बनता है, उससे ज्यादा प्रार्थीगण को नहीं दिया जा सकता है, यदि सनद का आधार गल्त है, तो उसको निरस्त करवाया जाना चाहीये था इस सम्बंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा को निरस्त फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। भूमि वर्तमान कं अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी है और प्रार्थी के कब्जा होनें के सम्बंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है ऐसे में पृथम दृष्या यह प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है, इस कारण अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है, इस कारण प्राथी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्या 64/2014 के साथ शामिल रहें।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी